

## आदेश

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 व 3 को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया को प्रतिमाह 1500-1500/- अक्षरों रूपये पन्द्रह सौ प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना मण्ड्रेला को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हों।

(डा० नरेश सोनी)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा० नरेश सोनी)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा